प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 03.12.2025

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा 10 शातिर अपराधियो की हिस्ट्रीशीट खोली गयी

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री जे0 रविन्दर गौड व श्रीमान पुलिस उपायुक्त नगर महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री धवल जायसवाल के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु 10 शातिर लूट, धोखाधडी व चोरी/नकबजनी आदि से संबंधित अभ्यस्त अपराधी जिनके विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद व अन्य जनपदों के विभिन्न थानों पर 50 से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं, उनकी सतत निगरानी हेतु उनकी हिस्ट्रीशीट खोली गयी जिनका विवरण निम्नवत है।

क0 सं0	अपराधी का नाम	थाना	पंजीकृत अभियोगों की सं0
1	सुमित त्यागी पुत्र राधेश्याम त्यागी नि0 बडे मन्दिर के पास ग्राम मोरटी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद। उम्र 26 वर्ष	नन्दग्राम	5
2	रवि शर्मा उर्फ कोटला पुत्र दिनेश शर्मा नि0 सद्दीकनगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद। उम्र 26 वर्ष	नन्दग्राम	4
3	अनुज चौधरी पुत्र ओमवीर सिंह नि0 ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर हालनि0 म0नं0 50 गली नं0 02 सुभाष नगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद। उम्र 30 वर्ष	नन्दग्राम	2
4	केतन यादव उर्फ हैप्पी पुत्र कैलाश चन्द्र यादव नि0 म0न0 253 एजी ब्लौक से0 11 प्रतापबिहार थाना विजयनगर, गाजियाबाद। उम्र 31 वर्ष	विजयनगर	6
5	अलीजान पुत्र हामिद नि0 मिर्जापुर सै0 12 प्रताप विहार थाना विजयनगर, गाजियाबाद। उम्र 44 वर्ष	विजयनगर	6
6	प्रियम यादव पुत्र शिवदेश यादव नि0 म0नं0 317 एल ब्लाक से0 12 प्रताप विहार थाना विजयनगर, गाजियाबाद। उम्र 32 वर्ष	विजयनगर	6
7	अंशु पुत्र मुकेश कुमार नि0 म0नं0 211 गली नं0 17 अम्बेडकर नगर थाना विजयनगर, गाजियाबाद। उम्र 25 वर्ष	विजयनगर	7
8	विकास पुत्र बब्लू उर्फ सदन सिंह नि0 म0नं0 159/12 अम्बेडकर नगर थाना विजयनगर, गाजियाबाद। उम्र 24 वर्ष	विजयनगर	3
9	उत्तम पुत्र सुन्दरलाल नि0 गली नं0 09 अम्बेडकर नगर सै0 09 थाना विजयनगर, गाजियाबाद। उम्र 27 वर्ष	विजयनगर	5
10	अमरजीत पुत्र नन्दकिशोर नि0 944 ननकी चौक थाना विजयनगर, गाजियाबाद। उम्र 27 वर्ष	विजयनगर	6

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 50 क्वार्टर अवैध शराब बरामद ।

दिनांक 03.12.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गोलू पुत्र बनवारी लाल निवासी ग्राम अकसोली थाना सिकन्दराउ जिला अलीगढ, हाल पता किराये पर राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 50 क्वार्टर संतरा देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर आबकारी अधिनियम की धारा- 60/63 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मुझे रूपक व चाँदनी शराब लाकर देती है और मैं उन्हीं की शराब को आते-जाते लोगों को बेच देता हूँ। जिससे जो मुनाफा होता है उसको हम तीनों बराबर-बराबर बाँट लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

गोलू पुत्र बनवारी लाल निवासी ग्राम अकसोली थाना सिकन्दराउ जिला अलीगढ, हाल पता किराये पर राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र 21 वर्ष

वांछित अभियुक्त - 1.रूपक 2.चाँदनी

बरामदगी का विवरण –

50 क्वार्टर अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है व अभियुक्त उपरोक्त पर थाना लोनी बॉर्डर पर पूर्व में 02 अभियोग चोरी व आर्म्स एक्ट में पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

आज दिनांक 3 दिसंबर को शालीमार गार्डन थाने के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन के सम्बन्ध में ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद श्री जे0 रविन्दर गौड के निर्देशन में बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने की दिशा में निरंतर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं । इसी क्रम में शालीमार गार्डन थाने को आधुनिक सुविधाओं, हाई-टेक सिस्टम और जन-सुलभ सेवाओं पर विशेष ध्यान देते हुए जन सहयोग से पुनर्विकसित किया गया है। मुख्य आकर्षण इस प्रकार हैं:-

आधुनिक प्रतीक्षालय:- नागरिकों को सम्मानजनक, स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण प्रदान करने के लिए नया वेटिंग रूम बनाया गया है।

मिशन शक्ति केंद्र:- महिलाओं की सुरक्षा, सहायता और सशक्तिकरण हेतु समर्पित केंद्र, जहाँ त्वरित सहयोग और काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है।

साइबर सेल यूनिट:- साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों के प्रभावी और तेज निस्तारण के लिए विशेष डेस्क की स्थापना।

सौंदर्यपूर्ण एवं कार्यात्मक डिज़ाइन:- भवन को आधुनिक रूप, बेहतर पहुँच और आगंतुकों व स्टाफ दोनों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने हेतु पुनः डिजाइन किया गया है।

बेहतर कार्य वातावरण:- कार्यालयों का नवीनीकरण, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, उन्नत सुविधाएँ और सुव्यवस्थित कार्यस्थल पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता और मनोबल को बढ़ाते हैं।

नवीनीकृत शालीमार गार्डन थाना प्रौद्योगिकी, अधोसंरचना और मानव-केंद्रित सेवा प्रदाय का एक समग्र आधुनिक मॉडल प्रस्तुत करता है। उन्नत डिजिटल सिस्टम, सुव्यवस्थित शिकायत निवारण प्रक्रिया और स्पष्ट सार्वजनिक सूचना प्रदर्शन से पारदर्शिता एवं जवाबदेही और मजबूत होगी। नया लेआउट नागरिकों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करता है तथा विभिन्न सेवाओं के लिए अलग-अलग समर्पित काउंटर भी बनाए गए हैं। इससे दैनिक पुलिसिंग, आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय में उल्लेखनीय सुधार होने की अपेक्षा है।

यह पुनर्निर्माण गाज़ियाबाद पुलिस की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसके तहत वर्ष के अंत तक सभी थानों का आधुनिकीकरण किया जाएगा तथा अगले वर्ष सभी पुलिस चौकियों को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।

शालीमार गार्डन थाने का उद्घाटन गाज़ियाबाद पुलिस की जन-मित्र पुलिसिंग, प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं और प्रत्येक नागरिक के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद वातावरण प्रदान करने की निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

स्वाट टीम क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस की सयुंक्त कार्यवाही मे पचायरा/नौरसपुर खनन पट्टा पाईंट पर फायरिंग कर रंगदारी माँगने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 अवैध पिस्टल .32 बोर मय 05 जिंदा कारतूस.32 बोर व एक अदद देशी तंमचा मय 02 जिंदा कारतूस व घटना मे प्रयुक्त 01 मोबाईल फोन व स्विफ्ट कार बिना नंबर बरामद

घटना का विवरण - वादी मुकदमा द्वारा अपने खनन पट्टे पचायरा/नौरसपुर थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी पर दिल्ली की मंडोली जेल मे निरुद्ध अभियुक्त दीपक निवासी ग्राम अगरौला के द्वारा लगातार फोन पर वादी मुकदमा से 03 लाख रुपये प्रतिमाह व प्रतिदिन 06-07 गाडी बालू रेत की भरवाने को लेकर रंगदारी की माँग कर रहा था रंगदारी न देने पर दीपक ने अपने साथी निखिल आदि को दिनांक 01.12.2025 को दोपहर लगभग 01 बजे खनन पाईंट पट्टा नौरसपुर पर भिजवाकर फायरिग की व वादी मुकदमा को अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए भाग गये उक्त क्रम मे वादी मुकदमा द्वारा मु.अ.सं.0534/2025 धारा 308(5) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

कार्यवाही का विवरण- श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन मे व अपर पुलिस उपायुक्त अपराध व सहायक पुलिस आयुक्त अपराध के नेतृत्व मे स्वाट टीम क्राइम ब्रांच व थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही मे दिनांक 02/12/2025 को समय करीब 16.20 बजे मुखबिर की सूचना पर सोनिया विहार पुस्ते पर 02 अभियुक्त निखिल उर्फ निक्की उर्फ शिवा व उसका साथी अरमान को अवैध असलहे एक अदद .32 बोर पिस्टल मय जिंदा 05 अदद कारतूस .32 बोर व एक अदद तंमचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस व घटना मे प्रयुक्त एक अदद मल्टीमिडिया आईफोन व एक स्विफ्ट कार बिना नंबर के साथ गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त निखिल उर्फ निक्की उर्फ शिवा व उसके साथी अरमान ने पूछताछ पर बताया कि दिल्ली की मंडोली जेल मे निरुद्ध दीपक निवासी ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी हमारा साथी है जेल से उसके द्वारा हमारे पास फोन आया था कि खनन पाईंट नौरसपुर का मालिक के द्वारा हमारे लोगो की गाडियो को भरने से मना किया जा रहा व महीनादारी के रुपयो को देने से भी आना कानी कर रहा है ।हम दोनो लोग दीपक के कहने पर ही दिनांक 01/12/2025 को समय करीब 01.00 बजे नौरसपुर खनन पाईंट पर गये थे वहाँ पर खनन पाईंट का मालिक मिला था जिससे हमने दीपक निवासी अगरौला के बारे मे बताया और रंगदारी के रुपयो व बालू की गाडियो को भरने की बात कही तो आनाकानी करने पर बरामद हुए इन्ही असलहो से अँधाधुंध फायरिंग की थी तथा धमकी देकर वहाँ से बागपत की तरफ भाग गये थे।

अभियुक्त निखिल उर्फ निक्की उर्फ शिवा एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध लूट,चोरी,गैगस्टर, डकैती,हत्या के प्रयास व रंगदारी के लगभग दो दर्जन से अधिक मामले दिल्ली, बागपत, गाजियाबाद मे पंजीकृत है तथा गिरफ्तार अभियुक्त निखिल उर्फ निक्की उर्फ शिवा को पूर्व मे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय द्वारा दिनांक 18/10/2025 से 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है किंतु फिर भी यह यहाँ पर रंगदारी माँग रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. निखिल उर्फ निक्की उर्फ शिवा पुत्र इंद्रपाल गुर्जर हाल निवासी रामपार्क थाना ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद व मूल निवासी गांव निबाली थाना बागपत जिला बागपत उम्र करीब 26 वर्ष।
2.अरमान पुत्र असलम उर्फ इलियास निवासी 50 फुटा रोड शराब ठेके के सामने वाली गली रामपार्क थाना ट्रॉनिका सिटी ग़ाज़ियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण –

1. 01 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन 32. अदद जिन्दा कारतूस 05बोर
2. 01 अदद तमंचा .315 बोर मय अदद जिन्दा कारतूस 02
3. घटना में प्रयुक्त अदद मल्टी मिडिय 01ा आई फोन
4. 01 स्विफ्ट गाडी रंग सफेद

आपराधिक इतिहास- अभियुक्त निखिल उर्फ निक्की उर्फ शिवा

1. मु.अ.सं.1375/2018 धारा 394/397/411 भादवि थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2. मु.अ.सं.552/2018 धारा 392/411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।
3. मु.अ.सं.572/2018 धारा 307/482/411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।
4. मु.अ.सं.574/2018 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।
5. मु.अ.सं.505/2018 धारा 392/411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।
6. मु.अ.सं.1086/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।
7. मु.अ.सं.285/2021 धारा 394/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
8. मु.अ.सं.260/2021 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
9. मु.अ.सं.131/2021 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना शास्त्री पार्क दिल्ली।
10. मु.अ.सं.962/2022 धारा 307/411/414 भादवि थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।
11. मु.अ.सं.963/2022 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।
12. मु.अ.सं.38/2023 धारा 147/149/307/386/506/507/32 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी

    कमिश्नरेट गाजियाबाद।

13. मु.अ.सं.141/2023 धारा 2/3 गैगंस्टर एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।
14. मु.अ.सं.120/2023 धारा 395/323/120बी/34 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।
15. मु.अ.सं.193/2023 धारा 392/504 भादवि थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।
16. मु.अ.सं.340/2019 धारा 395/397/412 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।
17. मु.अ.सं.352/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।
18. मु.अ.सं.527/2019 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।
19. मु.अ.सं490/2021 धारा 392/411/120बी भादवि थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।
20. मु.अ.सं.530/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।
21. मु.अ.सं.529/2021 धारा 411/414/120बी भादवि थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।
22. मु.अ.सं.301/2020 धारा 379/411 भादवि थाना जाफराबाद नोर्थ ईस्ट दिल्ली।
23. मु.अ.सं.70/2023 धारा 25/27/29 आर्म्स एक्ट व 482/411/34 भादवि थाना फर्श बाजार दिल्ली।
24. मु.अ.सं.534/2025 धारा 308(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।
25. मु.अ.सं.535/2025 धारा 10 जी एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास- अभियुक्त अरमान

1. मु.अ.सं.143/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2. मु.अ.सं.534/2025 धारा 308(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.स्वाट टीम क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद
2.थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा समस्त थानों पर 'वादी संवाद दिवस' आयोजित किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया जाता है। जिसके क्रम में आज दिनांक **03.12.2025** दिन **बुधवार** को कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों पर पूर्व की तरह **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया गया।

वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता, विश्वास एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है। जिसके क्रम

में विवेचनाधीन अभियोगों (एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0) तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित वादी को थाने पर आमंत्रित कर सम्बन्धित विवेचकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए विवेचना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराते हुए वादियों के सभी प्रश्नों का उचित, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर देते हुए संतुष्ट किया गया।

आज दिनांक 03.12.2025 को आयोजित किये गए वादी संवाद दिवस का जोन वार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	जोन	संवाद हेतु थानों पर उपस्थित आये वादियों की संख्या
1.	नगर	78
2.	ट्रांस हिण्डन	71
3.	ग्रामीण	92
कुल कमिश्नरेट गाजियाबाद		**241**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में **वादी संवाद दिवस** गाजियाबाद पुलिस की एक जन सरोकार आधारित पहल है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वादी को अपने प्रकरण की सही जानकारी समय पर मिले एवं उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास और संतोष प्राप्त हो। यह पहल पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को और अधिक मजबूत कर रही है।